

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क.मांक-846/2011
 संस्थित दिनांक-08/11/2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

सुनील पिता राजाराम नेवारे
 उम्र-38, निवासी-विजय नगर, बालाघाट रोड़ गोंदिया,
 जिला-गोंदिया (महाराष्ट्र)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-28/08/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 विकल्प में धारा-427 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-04.11.2011 को समय 13:30 बजे स्थान ऊंटघाटी के पास बैहर बालाघाट रोड़ थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक-एम.एच. 40/8985 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी मनोज की इंडिका कार को क्षति कारित किया विकल्प में प्रार्थी मनोज को नुकसान कारित करने के आशय से उसकी इंडिका कार क्रमांक-एम.एच. 31/सी.एस.3999 को टक्कर मारकर बोनट पिचकाकर रिष्टि कारित की तथा मौके पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस पेश नहीं किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-04.11.2011 को समय 13:30 बजे स्थान ऊंटघाटी के पास बैहर बालाघाट रोड़ थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक-एम.एच. 40/8985 को लोकमार्ग पर तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए फरियादी मनोज के इंडिका वाहन क्रमांक-एम.एच.31/सी.एस.3999 को टक्कर मार दिया, जिससे फरियादी का उक्त वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। फरियादी मनोज द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना रूपझर में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-136/2011, धारा-279 भा.द. वि. एवं धारा-184 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार

किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177, के अंतर्गत इजाफा कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 427 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177, के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-04.11.2011 को समय 13:30 बजे स्थान ऊंटघाटी के पास बैहर बालाघाट रोड थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक-एम.एच.40/8985 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी मनोज की इंडिका कार को क्षति कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी मनोज को नुकसान कारित करने के आशय से उसकी इंडिगो कार क्रमांक-एम.एच.31/सी.एस.3999 को टक्कर मारकर बोनट पिचकाकर रिष्टि कारित की?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मौके पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेश पेश नहीं किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी मनोज (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह अपनी इंडिका कार से उकवा से बालाघाट जा रहा था तो सामने से आरोपी ने बस को तेज रफ्तार से चलाते हुए उसकी साईड में आकर कार के बोनट को ठोस मार दिया, जिससे उसकी कार का बोनट और दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया, उक्त दुर्घटना में उसे 80,000/-रुपये का नुकसान हो हुआ था। उसके द्वारा घटना दिनांक-04.11.2011 को ही थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख करायी गई थी। पुलिस ने उसी दिन मौके पर आकर उसकी निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय कार में अन्य

लोगों के साथ वह मृत्यु संस्कार में जा रहा था तथा जहाँ घटना घटित हुई थी वहाँ पर मोड़ था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय वह तेज गति से गाड़ी चला रहा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि वह धीमी गति से तथा आरोपी तेज गति से वाहन चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा उसकी रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की गई है। यद्यपि फरियादी के रूप में की गई रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन में उसके वाहन को हुई नुकसानी के संबंध में कथित राशि का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अभियोजन की ओर से मामले में नुकसानी पंचनामा पेश किया गया है।

6— बी.एल.चौहान (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को वह मनोज की इंडिका कार में बैठकर बालाघाट जा रहा था। उनकी गाड़ी ऊंटघाटी के चढ़ाव पर पहुंची तो सामने से आ रही एस.टी.बस से टक्कर हो गई। उक्त बस को आरोपी चला रहा था। दुर्घटना बस के चालक आरोपी की गलती से हुई थी। साक्षी ने दुर्घटना में आरोपी की गलती होना प्रकट किया है, जिसका खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। यद्यपि साक्षी ने उक्त दुर्घटना में फरियादी के वाहन में हुई कथित नुकसानी के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

7— अन्य साक्षी भैयालाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वे लोग फरियादी मनोज के वाहन इंडिका में बैठकर ऊंटघाटी के रास्ते से जा रहे थे तो सामने से आरोपी ने गलत साईड में आकर उनकी इंडिका कार को टक्कर मार दी थी, जिससे इंडिका वाहन के सामने का बोनट पिचक गया था। आरोपी ने उलटे साईड से बस को चलाया, इसलिए वाहन की टक्कर हुई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना वाला स्थान मोड़ व घाटी वाला था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन इस सीमा तक अपनी साक्ष्य में किया है कि आरोपी की गलती से दुर्घटना घटित हुई थी, जिस कारण फरियादी की इंडिका कार क्षतिग्रस्त हुई।

8— खुशियाल राहंगडाले (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह फरियादी मनोज की इंडिका में बैठकर उकवा से बालाघाट जा रहा था, जैसे ही उनका वाहन घाटी के चढ़ाव पर चढ़ रहा था तो सामने से बस ने उनकी साईड में आकर ठोस मार दी थी। उक्त बस को आरोपी मनोज चला रहा था। ठोस लगने से उनके वाहन के सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन इस सीमा तक अपनी साक्ष्य में किया है

कि आरोपी की गलती से दुर्घटना घटित हुई थी, जिस कारण फरियादी की इंडिका कार क्षतिग्रस्त हुई।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी के.पी.मिश्रा (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.11.2011 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी मनोज की मौखिक रिपोर्ट पर बस क्रमांक-एम.एच.40/8985 के चालक सुनिल के विरुद्ध अपराध क्रमांक-136/11, धारा-279 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक-05.11.2011 को मनोज गौतम की निशानदेही पर साक्षियों की उपस्थिति में घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी मनोज, साक्षी भैयालाल, खुशियाल, भैयालाल पिता हरि बहेकर के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुनिल से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार एक बस क्रमांक-एम.एच.40/8985 एवं आरोपी का डायविंग लायसेंस जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा बस का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया है। मौके पर आरोपी के द्वारा वाहन से संबंधित दस्तावेज रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस पेश न करने से धारा-130(3)/177 मो.व्ही.एक्ट का इजाफा किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है साथ ही आरोपी के द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के अपराध किये जाने को भी प्रमाणित किया है।

10— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि किसी भी साक्षी ने आरोपी के द्वारा बस को घटना के समय तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का कथन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी के द्वारा फरियादी के वाहन इंडिका कार को सामने से गलत साईड में आकर टक्कर मारी गई, जिससे फरियादी का उक्त वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसी दशा में आरोपी का दुर्घटना कारित बस को तेजी से अथवा धीमी गति से चालन किये जाने का महत्व नहीं रह जाता, बल्कि घटना के समय आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के संबंध में संदेह न रह जाने से यह उपधारणा की जा सकती है, कि आरोपी

के द्वारा उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चालन किया जा रहा था। प्रकरण में यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चालन किया जाकर फरियादी का उक्त वाहन क्षतिग्रस्त किया गया। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से अभियोजन की ओर से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी से घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन बस से संबंधित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस की मांग करने पर पेश नहीं किया गया, जो कि मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

11— प्रकरण में फरियादी मनोज की इंडिका कार के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप हुई कथित नुकसानी के संबंध में अभियोजन की ओर से नुकसानी पंचनामा पेश कर प्रमाणित नहीं किया गया है। स्वयं फरियादी मनोज (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथित नुकसानी राशि 80,000/—रुपये के कथन किये हैं, किन्तु उसका आधार प्रकट नहीं किया है। मामले में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी ने लोकमार्ग पर दुर्घटना कारित बस को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए फरियादी की इंडिका कार को क्षतिग्रस्त किया। ऐसी दशा में आरोपी का उक्त कृत्य लोकमार्ग पर वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चालन करने से फरियादी को क्षति पहुंचाने की श्रेणी में आता है, किन्तु घटना के समय फरियादी मनोज की इंडिका कार को क्षतिग्रस्त कर उसे नुकसानी पहुंचाने का आरोपी का आशय प्रकट नहीं होता है। जहाँ तक उक्त घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाये जाने के कारण उक्त क्षति होने की संभावना को जानने का प्रश्न है, इस संबंध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आरोपी को ऐसी संभावना की जानकारी थी। वास्तव में आरोपी का कृत्य वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाये जाने का प्रकट होता है और फरियादी को कथित नुकसानी कारित करने का तथ्य का मामले में अभाव होने से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आरोपी के द्वारा कथित रिष्टि का अपराध कारित नहीं किया गया है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.एच.40/8985 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी मनोज की इंडिका कार को क्षति कारित किया एवं दुर्घटना कारित वाहन बस से संबंधित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस की मांग करने पर पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया। अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन से फरियादी मनोज की इंडिका कार को टक्कर मारकर रिष्टि कारित

की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-427 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

13- आरोपी के द्वारा किया गया अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपी के द्वारा वर्ष 2011 से विचारण का सामना किया जा रहा है और उसके विरुद्ध अन्य अपराध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। अतएव प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/- (एक हजार रुपये) तथा मोटर यान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के अपराध के अंतर्गत 100/- (एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को 15-15 दिन का सादा कारावास भुगताया जावे।

13- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन वाहन बस क्रमांक-एम.एच.40/8985 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार शिशुपाल पिता सखाराम कायकर, निवासी मरार टोली गोंदिया, तहसील गोंदिया व जिला गोंदिया महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट